बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग
कार्यालय आदेश

राज्य के सभी जिले भूकम्प जोन के अन्तर्गत आते है तथा भूकम्प की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील है। अतएव नए भूकम्परोधी भवनों को बनाने तथा पुराने भवनों के रेटरोफिटिंग के लिए आवश्यक है कि सरकार द्वारा निर्माण कार्य में संलग्न सभी साझेदारों का क्षमता वर्धन किया जाए तथा संवेदकों तथा आम जन को ऐसे ही भवनों का निर्माण करने हेतु जागरूक किया जाए। इसी क्रम में अभियंताओं/वास्तुविदों एवं राज्य मिस्त्रियों को भूकम्परोधी निर्माण की तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण देने तथा संवेदकों के संवेदीकरण हेतु विपार्ड से प्राप्त परियोजना प्रस्ताव के अनुसार निश्चित संख्या में अभियंता तथा वास्तुविदों को जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाना है। **भूकम्परोधी निर्माण की तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण देने की परियोजना एवं वित्तीय प्रस्ताव पर सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।**

इसी क्रम में माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 09.05.2012 को अभियंताओं/वास्तुविदों/संवेदकों/राज्यमिस्त्रियों को भूकम्प रोधी भवन निर्माण की तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिए रोड मैप तैयार करने हेतु आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में
राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल समन्वय हेतु निम्नानुसार राज्य समन्वय समिति गठित की जाती है:-

i. उपाध्यक्ष/ सदस्य (प्रो0 एस0 आर्य), बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – अध्यक्ष
ii. प्रधान सचिव/सचिव आपदा प्रबंधन विभाग – सदस्य
iii. प्रधान सचिव/सचिव जल संसाधन विभाग – सदस्य
iv. प्रधान सचिव/सचिव स्वास्थ्य विभाग – सदस्य
v. प्रधान सचिव /सचिव शिक्षा विभाग – सदस्य
vi. प्रधान सचिव/सचिव ग्रामीण कार्य विभाग– सदस्य
vii. प्रधान सचिव/सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग सदस्य
viii. प्रधान सचिव/सचिव पथ निर्माण विभाग – सदस्य
ix. प्रधान सचिव/सचिव भवन निर्माण विभाग – सदस्य
x. प्रधान सचिव/सचिव लघु जल संसाधन विभाग– सदस्य
xi. महानिदेशक, बिपार्ड– सदस्य सचिव
xii. अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड –सदस्य
xiii. अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 –सदस्य
xiv. अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस बिल्डिंग निर्माण लि0– सदस्य

राज्य समन्वयन समिति समय–समय पर प्रशिक्षण कार्य की भौतिक प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण करेगी। प्रशिक्षण का कैलेण्डर भी समिति के दिशा निर्देश में तैयार किया जायेगा। समिति प्रशिक्षण कार्य की गुणवता की भी निगरानी करेगी।

राज्य समन्वय समिति की बैठक समय–समय पर एवं कम से कम तीन महीने में एक बार अवश्य होगी।

27/6/12
(रमेश चन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक 2029 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–25.6.12

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ लघु जल संसाधन विभाग/ स्वास्थ्य विभाग, **महानिदेशक**, बिपार्ड, पटना, **अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक/ अध्यक्ष**, बिहार राज्य आवास बोर्ड/ बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड/ बिहार पुलिस बिल्डिंग निर्माण निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/6/12
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–2029 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–25.6.12

प्रतिलिपि–आप्त सचिव, माननीया मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ एवं प्रेषित।

27/6/12
संयुक्त सचिव